

मांग संख्या 55
मुख्य शीर्ष-2235

मद क्रमांक 1 से 8

यूनिफाईड डिजिटल एप्लीकेशन योजना अंतर्गत राशि ₹190.00 लाख का व्यय संभावित है।
अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 1,90,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 9 से 10

महिलाओं के कल्याण एवं उनके संरक्षण हेतु संचालित योजनाओं पर विज्ञापन एवं प्रचार हेतु राशि ₹30.00 लाख तथा सम्मेलन हेतु ₹70.00 लाख इस प्रकार कुल राशि ₹100.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 1,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 11

शक्ति सदन के संचालन (केन्द्रांश) हेतु आकस्मिकता निधि से राशि ₹100/- प्रतीक के रूप में अग्रिम स्वीकृत किया गया है।

अतः आकस्मिकता निधि से लिये गये अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु ₹100/- प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 12

महिला सशक्तिकरण केन्द्र के संचालन (केन्द्रांश) हेतु आकस्मिकता निधि से राशि ₹100/- प्रतीक के रूप में अग्रिम स्वीकृत किया गया है।

अतः आकस्मिकता निधि से लिये गये अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु ₹100/- प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 13

सखी निवास के संचालन हेतु (केन्द्रांश) आकस्मिकता निधि से राशि ₹100/- प्रतीक के रूप में अग्रिम स्वीकृत किया गया है।

अतः आकस्मिकता निधि से लिये गये अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु ₹100/- प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 14

नारी अदालत के संचालन हेतु आकस्मिकता निधि से राशि ₹100/- प्रतीक के रूप में अग्रिम स्वीकृत किया गया है।

अतः आकस्मिकता निधि से लिये गये अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु ₹100/- प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक- 15

शक्ति सदन के संचालन (राज्यांश) हेतु आकस्मिकता निधि से राशि ₹100/- प्रतीक के रूप में अग्रिम स्वीकृत किया गया है।

अतः आकस्मिकता निधि से लिये गये अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु ₹100/- प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 16 से 19

महिला सशक्तिकरण केन्द्र के संचालन (राज्यांश) हेतु आकस्मिकता निधि से राशि ₹400/- प्रतीक के रूप में अग्रिम स्वीकृत किया गया है।

अतः आकस्मिकता निधि से लिये गये अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु ₹400/- प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 20

सखी निवास के संचालन हेतु (राज्यांश) आकस्मिकता निधि से राशि ₹100/- प्रतीक के रूप में अग्रिम स्वीकृत किया गया है ।

अतः आकस्मिकता निधि से लिये गये अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु ₹100/- प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष-4235

मद क्रमांक 21 से 22

आंगनवाड़ी/मिनी आंगनवाड़ी केन्द्रों के लिए शौचालय निर्माण हेतु ₹373.36 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 3,73,36,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 23

यूनिफाईड डिजिटल एप्लीकेशन योजना अंतर्गत राशि ₹10.0 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹10,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।